न्यायालयः– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर।

उपस्थिति– श्री प्रकाश,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम,
व्यवहार न्यायालय, दानापुर।

सत्र वाद संख्या–1472/2024
मनेर थाना कांड सं0–862/2022

सरकार

वनाम्

1. निक्कू उर्फ नाटू उर्फ संजय कु0 पिता स्व0 किशोरी राय, उम्र– 35 –वर्ष साकिन –छितनावॉ, थाना–मनेऱ, जिला– पटना।

———— अभियुक्त।

सूचक की ओर से – श्री रामकेश्वर प्रसाद,
लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से– श्री अजीत कुमार।
अधिवक्ता।

अपराध की घटना– 01.12.2022
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि–01.12.2022
आरोप पत्र प्राप्त होने की तिथि–08.10.2024
आरोप गठन की तिथि– 20.03.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि– 00
निर्णय की तिथि– 18.03.2026
आरोप अंतर्गत धारा– 302/34भा0द0वि0

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तं के विरूद्ध धारा–302/34भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपित किया गया है।

2. सूचक के फर्दवयान में वर्णित अभियोजन पक्ष की तथाकथित घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि ईंट, भट्ठा पर मजदुर का काम करते हैं। मृतक बुधन भुईया भी इनके साथ भट्ठा पर मजदुर का काम करते थे। दिनांक–30.11.2022 को रात करीब 11.00 बजे में डेनियल हसफर्ती, निक्कू कुमार आये और बुधन से 120 रू0 मांगने लगा और झगड़ा करने लगा। मजदुरों ने उन दोनों को झगड़ा करने से मना किया। बुधन को अपने साथ जबर्दस्ती लेकर बांध के दक्षिण तरफ लेकर चले गये और बुधन को मारने लगे। मारने से मना किया तो लोग लाठी दिखाकर भगा दिये। सुबह में पता चला कि बुधन मर गया है। पुलिस को खबर किया, पुलिस आयी और बुधन को पोस्टमार्टम करवाने के लिये अस्पताल भेजा।

3. अनुसंधानकर्ता ने घटना का अनुसंधान कर उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध ध ारा– 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत घटना को सत्य पाते हुये आरोप–पत्र

समर्पित किये।

4. विद्वान न्यायालय ने अभियुक्तं के विरूद्ध पर्याप्त सामग्री पाते हुये धारा–302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुये अभियुक्त को विचारण हेतु आहुत किया गया।

5. विद्वान न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा–302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इनकार करते हुये विचारण का दाबा किया।

6. धारा–313 द.प्र.सं. के अंतर्गत वयान में अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताते हुये अभियोजन पक्ष तथाकथित घटना से इनकार किया है।

7. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख विन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत आरोप धारा– 302/34 भा0द0वि0 को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मन्तव्य

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आपराधिक मामले के समर्थन में कोई भी साक्षी को प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

9. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा–302/34 भा0द0वि0 में है।

10. आरोप पत्र के गैरसरकारी साक्षियों के विरूद्ध समन निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में समन निर्गत किया गया, दिनांक–06.08.2025 को अभियोजन साक्षियों को साक्ष्य हेतु जमानतीय अधिपत्र, दिनांक–11.11.2025 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया एवं दिनांक–21.11.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु आदेशफलक पर अभियोजन को सीन कराया गया और दिनांक–29.01.2026 को अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया, उसके बाबजुद भी अभियोजन निर्धारित तिथियों को भी कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। पर्याप्त व सम्यक समय दिये जाने के बाबजुद अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किये जाने से अभियुक्त के इस कथन को बल मिलता है कि वे निर्दोष हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन विवेचन से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा–302/34 भा0द0वि0 के विन्दु पर अभियोजन पक्ष की तथाकथित घटना पर संदेह उत्पन्न होता है एवं इस विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोप धारा–302/34 भा0द0वि0 को समस्त युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।

आदेश

अतएव अभियुक्त निक्कू उर्फ नाटू उर्फ संजय कुमार को धारा– 302/34 भा0द0वि0 से दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को भी बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। अभियुक्त कारा में है। कार्यालय उक्त

अभियुक्त का निमुर्क्ति आदेश निर्गत करें।

Sd/-

दिनांक–18.03.2026 श्रीप्रकाश,
स्थान–दानापुर,पटना। अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम,दानापुर।

मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित, हस्ताक्षरित व दिनांकित आज निर्णय अभियुक्त की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

दिनांक–18.03.2026 श्रीप्रकाश,
स्थान–दानापुर,पटना। अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम,दानापुर

–